निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या : 35/दावा/2020 तारीख दायरा :– 28.02.2022

ऑनलाइन प्रकरण संख्या: 00032/2020

उनवान

1. प्रेमनारायण पिता रत्ता जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
2. रामनाथ पिता रत्ता जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
3. भंवरी वाई पुत्री रत्ता जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
4. कवरीबाई पुत्री रत्ता जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
5. गंगा वाई पुत्री रत्ता जाति लोधा निवासी आंवलहेडा तहसील मनोहरथाना

–वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पिता चम्पालाल जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
2. हजारी लाल पिता चम्पालाल जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
3. राधाकिशन पिता चम्पालाल जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
4. हीरालाल पिता चम्पालाल जाति लोधा निवासी आंवलहेडा

–प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–वकील वादीगण श्री केसरीसिह पुष्पद

निर्णय

दिनांक 24.06.2022

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जर्ये अधिवक्ता श्री केसरीसिह पुष्पद वाद धारा 183 रा.टी. एक्ट के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बिशनखेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खतोनी संख्या नया 108 पुरानी 100 की खसरा नम्बर 439/213 की बीघा आराजी वादीगण 1 लगायत 4 व मृतक खेमी बाई बेवा रत्ता के भाामिल खाते में दर्ज है। वर्णित आराजी में खेमी बेवा रत्ता खातेदार अर्सा 8–9 साल पहले फोत हो चुकी हैं उस के जायज वारिस एवं कायम मुकामान वादीगण 1 लगायत 5 है। उक्त वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 439/213 की 5 बीघा आराजी में प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने 4 साल पहले जबरन नाजायज कब्जा कर लिया है जिससे कि मुझ वादी को अपार क्षति हुई है। जिसका के प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है ओर ना ही प्रतिवादीगण के खाते में भी नाम दर्ज नही है फिर भी उक्त आराजी पर जबरन कब्जा किए हुए है जिन्हें बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आशय बाबत वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा

कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम बिशनखेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खतोनी संख्या नया 108 पुरानी 100 की खसरा नम्बर 439/213 की 5 बीघा आराजी वादीगण 1 लगायत 5 व मृतक खेमी वाई बेवा रत्ता के शामिल खाते में दर्ज है। वर्णित आराजी में खेमी बेवा रत्ता खातेदार अर्सा 8–9 साल पहले फोत हो चुकी हैं उस के जायज वारिस एवं कायम मुकामान वादीगण 1 लगायत 5 है। उक्त वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 439/213 की 5 बीघा आराजी में प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने 4 साल पहले जबरन नाजायज कब्जा कर लिया है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 4 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिसपर प्रतिवादीगण का कब्जा बेहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडा संवत 2070–73 की खाता संख्या नया 108 पुरानी 100 प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिशनखेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खतोनी संख्या नया 108 पुरानी 100 की खसरा नम्बर 439/213 की 5 बीघा आराजी की पैमाइश कर बाद पैमाइश यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादीगण को नापकर संभलाया जावे। डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास में सुनवाया गया।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

डिक्री मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या : 35/दावा/2020 तारीख दायरा :– 28.02.2022

ऑनलाइन प्रकरण संख्याः 00032/2020

उनवान

1. प्रेमनारायण पिता रत्ता जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
2. रामनाथ पिता रत्ता जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
3. भंवरी बाई पुत्री रत्ता जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
4. कंवरीबाई पुत्री रत्ता जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
5. गंगा बाई पुत्री रत्ता जाति लोधा निवासी आंवलहेडा तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पिता चम्पालाल जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
2. हजारी लाल पिता चम्पालाल जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
3. राधाकिशन पिता चम्पालाल जाति लोधा निवासी आंवलहेडा
4. हीरालाल पिता चम्पालाल जाति लोधा निवासी आंवलहेडा

–प्रतिवादी

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक चारण** आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री केसरीसिह पुष्पद मिन जानिब मुद्दालय ——————— पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम बिशनखेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खतोनी संख्या नया 108 ...नी 100 की खसरा नम्बर 439/213 की 5 बीघा आराजी की पैमाइश कर बाद पैमाइश ... प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ... बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादीगण को नापकर संभलाया जावे।

... दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड